

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/2019/309

दिनांक:- 13/2/19

आदेश

निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश आर.एस.आर. के नियम-110 एवं 112 के तहत उनकी स्वयं की प्रार्थना पर स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश का विवरण
1.	महत्वाकांशी, अति. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपस्वास्थ्य केन्द्र तारातरा, बाड़मेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 1155 दिनांक 28.07.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में:- दिनांक 15.04.2018 से 11.10.2018 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
2.	मणी, अति. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपस्वास्थ्य केन्द्र सुथारो का तला, बाड़मेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 1093 दिनांक 28.07.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में:- दिनांक 15.04.2018 से 11.10.2018 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
3.	सन्तोष यादव, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपस्वास्थ्य केन्द्र देरासर, बाड़मेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 273 दिनांक 02.03.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में:- दिनांक 28.03.2018 से 23.09.2018 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
4.	रानी मीणा, अति. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपस्वास्थ्य केन्द्र देरासर, बाड़मेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 1100 दिनांक 03.08.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में:- दिनांक 11.04.2018 से 07.10.2018 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
5.	रामपति, अति. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपस्वास्थ्य केन्द्र भादरेश, बाड़मेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 1341 दिनांक 23.12.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में:- दिनांक 09.04.2018 से 05.10.2018 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
6.	सुनिता कुमारी, अति. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपस्वास्थ्य केन्द्र मगरा, बाड़मेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 590 दिनांक 04.05.2017 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में:- दिनांक 26.03.2018 से 21.09.2018 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
7.	कृष्णा गुर्जर, अति. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपस्वास्थ्य केन्द्र सणाउ, बाड़मेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 440 दिनांक 04.04.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में:- दिनांक 10.04.2018 से 06.10.2018 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
8.	सीता शोरावत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जालसू, जयपुर	दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। दिनांक 13.04.2020 से 10.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
9.	सरिता चौधरी, अति. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपस्वास्थ्य केन्द्र कोरना, खण्ड बालोतरा, बाड़मेर	दिनांक 09.04.2018 से 08.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। दिनांक 09.04.2020 से 06.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 07.08.2020 से 08.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
10.	कृष्णा, अति. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपस्वास्थ्य केन्द्र बलाउ, खण्ड बालोतरा, बाड़मेर	दिनांक 23.05.2018 से 22.05.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। दिनांक 23.05.2020 से 19.09.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 20.09.2020 से 22.05.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
11.	अंजली टी., महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नादिया, सिरोही	दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। दिनांक 13.04.2020 से 10.05.2020 तक 28 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 11.05.2020 से 13.04.2021 तक 338 दिवस का असाधारण अवकाश।

12.	परवीन बानो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडु, खण्ड परबतसर नागौर	दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। दिनांक 13.04.2020 से 04.07.2020 तक 83 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 05.07.2020 से 14.04.2021 तक 284 दिवस का असाधारण अवकाश।
13.	कमलेश शेखावत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भोपालगढ़, जोधपुर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 1310 दिनांक 06.09.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में:- दिनांक 26.03.2018 से 21.09.2018 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
14.	रेखा खत्री, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केशवणा, खण्ड सायला जिला जालौर	दिनांक 26.12.2017 से 25.12.2019 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। दिनांक 26.12.2019 से 01.04.2020 तक 98 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 02.04.2020 से 23.04.2020 तक 22 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। दिनांक 24.04.2020 से 25.12.2020 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।


६-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20 / म0स्वा0कार्य0 / 2019 /

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
2. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
3. प्रधानाचार्य संबंधित नर्सिंग संस्थान।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर